राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

क्रमांकः शैक्षणिक–द्वितीय/2024/7001–05 दिनांकः 13.05.2024

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव **अति–आवश्यक**
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,

महोदय/महोदया,

सिविल रिट पिटीशन संख्या 6380/2024 एवं 7068/2019 के अन्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 06.05.2024 की अनुपालना में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर के पत्र दिनांक 13.03.2024 के बिन्दु संख्या 7 एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) विनिमय 2014 के बिन्दु संख्या 10 (2) के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए कार्यालय आदेश क्रमांक शैक्षणिक–द्वितीय/2024/5247दिनांक 07.05.2024 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक शैक्षणिक–द्वितीय/2024/6002, दिनांक 08.05.2024 में उल्लेखित समस्त सूचनाएं मय समस्त दस्तावेजों सहित समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को दिनांक 08.05.2024 तक स्वयं की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने एवं तत्संबंधित लिंक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने बाबत दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, लेकिन कुछ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा वर्तमान में कार्यरत अनुमोदित प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ की सूची नियत तिथि तक स्वयं की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है, तद्नुसार बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन की दिनांक 13.05.2024 को आयोजित हुई बैठक में प्रस्तुत की गई वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक रूप से आंकलन करने के पश्चात ऐसे समस्त महाविद्यालयों को अधिकतम दो दिवस के भीतर महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ की अद्यतन सूची मय समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय की स्वयं वेबसाइट पर अपलोड एवं प्रदर्शित किये जाने की बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन द्वारा अनुशंसा की गई, तदनान्तर्गत ही वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ की अद्यतन सूची का आकलन किए जाने के पश्चात ही शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु संबंधित महाविद्यालयों की सम्बद्धता अवधि में अभिवृद्धि पर विचार किया जा सकेगा।

अतः समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि:–

1. विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमानुसार (B.Ed., M.Ed, B.Sc.-B.Ed./B.A.-B.Ed, B.Ed-M.Ed) अनुमोदित किए गए समस्त शैक्षणिक स्टॉफ की अद्यतन (Updated & Approved) सूची मय शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ स्वयं की महाविद्यालयी वेबसाइट पर दिनांक 15.05.2024 तक अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
2. विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जारी किए गए ऑन–लाईन गूगल फार्म https://forms.gle/DNjoAKUWbyQL45pz8 (जिसका लिंक विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर website link section पर affiliated college information form के रूप में उपलब्ध है) को भली भाँति भरते हुए अपनी महाविद्यालयी वेबसाइट का लिंक ऑन–लाईन गूगल फार्म के माध्यम से ही विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने ऑन–लाईन गूगल फार्म भली–भाँति भर दिया है, को पुनः ऑन–लाईन गूगल फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान दिनांक 15.05.2024 सांय 05:00 बजे तक प्रदान किए गए उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना हर हाल में सुनिश्चित करें, जिसके अभाव में संबंधित महाविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु सम्बद्धता अवधि में अभिवृद्धि के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

-Sd-
उप कुलसंचिव
(शैक्षणिक द्वितीय)

क्रमांकः शैक्षणिक–द्वितीय/2024/7001–05 दिनांकः 13.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. एलआर, विधि प्रकोष्ठ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव, राज. वि.वि. जयपुर।

13.5.2024
उप कुलसचिव
(शैक्षणिक द्वितीय)